



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256695  
CG-DL-E-28082024-256695

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3320]  
No. 3320]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2024

का.आ. 3637(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी नियम, 1956 के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3191(अ), तारीख 3 सितंबर, 2019 के अधिक्रमण में, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात् :-

- केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों के संबंध में उक्त नियमों के नियम 13 के प्रयोजन हेतु, श्रीमती रेनु पांडे, उप विधि सलाहकार ; और
- केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों के संबंध में, नियम 13 के सिवाय, उक्त नियमों के प्रयोजन हेतु, श्री राजीव कुमार, उप सचिव ।

[फा. सं. एन-15011/1/2023-नोटेरी सैल]

आशुतोष मिश्र, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Department Of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2024

**S.O. 3637(E).**—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Notaries Rules, 1956 and in supersession of notification of the Government of India in Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs number S.O.3191(E), dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Central Government hereby designates the following officers in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice as competent authority, namely :-

1. Smt. Renu Pande, Deputy Legal Adviser, for the purpose of rule 13 of the said rules in relation to notaries appointed by the Central Government; and
2. Shri Rajeev Kumar, Deputy Secretary, for the purpose of the said rules, in relation to the notaries appointed by Central Government, except rule 13.

[F. No. N-15011/1/2023-Notary Cell]

ASHUTOSH MISHRA, Jt. Secy. and Legal Adviser